सिफारिशों का सार

फर्मों और उनके भागीदारों से संबंधित प्रणालीगत मुद्दों के संदर्भ में

1. मंत्रालय फर्मों का एक संपूर्ण डाटाबेस बना सकता है तथा गैर पंजीकृत फर्मों का पता लगाने के साथ उनकी आईटीआर की फाईलिंग सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र निर्धारित कर सकता है।

2. मंत्रालय भागीदारों तथा फर्मों के रिटर्नों की लिंकिंग पर विचार कर सकता है ताकि एओज संव्यवहारों की जाँच कर सकें। मंत्रालय फर्मों के लिए आईटीआर में उनके भागीदारों के नाम तथा पेन की उदघोषणा को भी अनिवार्य कर सकता है।

3. मंत्रालय वेतन/पारिश्रमिक/लाभ सहभाजन/भागीदारों की पूंजी पर ब्याज की दर के संबंध में दावों का विनियमन करने हेतु पहले भागीदारी विलेख तथा संशोधित भागीदारी विलेख की प्राप्ति की निगरानी हेतु एक साफ्टवेयर मॉड्यूल निर्धारित कर सकता है। मंत्रालय किसी परिवर्तन के संबंध में फर्मों के रजिस्ट्रार से सूचना संगृहीत कर सकता है (भागीदारी अधिनियम के अनुसार किसी ऐसे परिवर्तनों की सूचना देना आवश्यक है) ताकि फर्मों के निर्धारण पर प्रभावकारी नियंत्रण रख सके।

4. मंत्रालय धारा 10(2ए) में दी गई व्याख्या को परिवृधित कर सकता है ताकि उन मामलों में, जहाँ कुल आय कटौती/छूट के कारण कम हो जाती है, भागीदारों के बीच विभाजित होने वाली फर्म की कुल आय को उचित अर्थ दिया जा सके।

5. भागीदारों की संरचना में विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्रालय स्पष्ट कर सकता है कि क्या गैर-न्यायिक सत्त्वों जैसे फर्मों, व्यक्तियों का निकाय, व्यक्तियों का संगठन एक फर्म में भागीदार हो सकते है।

6. मंत्रालय धारा 10(2ए) के तहत विनिर्दिष्ट आय को छोड़ने के संदर्भ में धारा 14ए के सुसंगत एवं सुव्यवस्थित अनुप्रयोग पर स्पष्टीकरण दे सकता है। मंत्रालय फर्मों के लिए वर्तमान वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष के आकड़ों को शामिल करते हुए वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य करने पर भी विचार कर सकता है ताकि नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के प्रावधान के अनुप्रयोग को सरल किया जा सके।

फर्मों के लिए छूट/कटौती के विशेष प्रावधान के संदर्भ में

7. आईटीडी (i) अध्याय XVI में दिए अनुसार फर्मों के लिए विशेष, (ii) सेवानिवृत्त होने वाले/मृतक साझेदारों की हानियों को निर्धारित करने से संबंधित और (iii) फर्मों द्वारा किए गए दावों के अनुसार पारिश्रमिक और ब्याज के संबंध में कटौती हेतु निर्धारिती प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

8. मंत्रालय साझेदारों की पूँजी पर 'मूल राशि' स्पष्ट करे जिस पर अधिनियम की धारा 40(बी)(iv) के तहत ब्याज अनुमत करने हेतु ब्याज की गणना की जाएगी।

9. मंत्रालय अधिनियम की धारा 40(बी)(v) के प्रावधान तथा साझेदारी दस्तावेज में पारिश्रमिक की मात्रा से संबंधित दिनांक 25 मार्च 1996 के सीबीडीटी के परिपत्र सं. 739 के बीच विरोधाभास का समाधान करे।

10. मंत्रालय फर्मों के पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में बुक प्रॉफिट की गणना का तरीका स्पष्ट करे तथा यह सुनिश्चित करे कि एओज़ निरंतर एकसमान दृष्टिकोण अपनायें।

11. मंत्रालय अधिनियम की धाराओं 10ए/10बी/80।ए/80।बी/80।सी/80।ई के तहत छूट/कटौती लेने वाली फर्मों द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान और साझेदार की पूँजी पर अनिवार्य रूप से ब्याज लगाने के लिए कानून में एक समर्थकारी प्रावधान लाने पर विचार करे।

फर्मों के निर्धारण के संदर्भ में

12. सीबीडीटी निर्धारणों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक तंत्र पर विचार कर सकता है और त्रुटियों को घटाने हेतु निर्धारण अधिकारी हेतु क्षमता निर्माण की संभावना खोज सकता है।

आन्तरिक नियंत्रण के संदर्भ में

13. आईटीडी निर्देशों, नियमों, परिपत्रों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने आन्तरिक नियंत्रण तथा मॉनीटरिंग तंत्र को मजबूत कर सकता है। मंत्रालय, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में गलत प्रमाणीकरण के लिए थर्ड पार्टियों के प्रति उपयुक्त कार्रवाई भी कर सकता है तथा बकाया की वसूली अथवा अवसूलीयोग्य बकाया को खारिज करने के लिए आवश्यक प्रयास कर सकता है।

14. आईटीडी यह सुनिश्चित कर सकता है कि उनकी क्षेत्रीय इकाई द्वारा सभी आवश्यक रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाता है जिनकी अनुपालन हेतु आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा जांच की जा सकती है।